

तारीख
हुकम

9/2/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय वर एगोसियेशन का कार्य रद्दगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 19/4/24 को पेश हो।
 आज से शिडर

19/4/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 19/7/24 को पेश हो।

14/7/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 16/8/24 को पेश हो।

16/8/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 25/10/24 को पेश हो।

25/10/24

पत्रावली पेश हुई। वकील आर्किवकल उपा. वकील आर्किवकल द्वारा पत्रावली में उपलब्ध शॉफ्ट डिस्क के आकार पर तला अकारन बनांबी के आकार पर स्वीकार किया गया कि वकील के नाम वादगस्त आरानीपान नहीं है। ऐसी स्थिति में शरमान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) (ii) की पालना नहीं होने से वकील का वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः शरमान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) (ii) के अनुसार वकील का वाद पत्र नहीं होने से अकारन किया जाता है। पत्रावली फौजल

नारीख
हाम


हुक्स या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इन
हुक्स की तामील
में जारी हुए

जालू V/S दौला

शुमार होकर वापिस अफतर
हो नम्बर से कम हो।

53 RTA


सहस्र उपनिषद्
भोलवाड़ा

पी-2
म 1

२५/०२/२०